महत्वपूर्ण

संख्या- 4/2015/3149/33-2-15-45डब्लू/13

प्रेषक,

सुशील कुमार मौर्य,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायतें, उ0 प्र0 ।

पंचायतीराज अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 24 सितम्बर, 2015**

विषय : मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन सिविल संख्या-309/2003 लक्ष्मी नारायन मोदी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के अनुपालन में गठित " राज्य स्तरीय समिति " की बैठक के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पशुबधशालाओं के संचालन के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-912/33-2-2014-45 डब्लू/2013, दिनांक 02-07-2014 एवं पत्र संख्या- 239/33-2-2015-45 डब्लू/2013, दिनांक 12-02-2015 के संबंध में अनुपालन आख्या तीन दिन के भीतर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें । चूंकि प्रकरण में दिनांक 09-10-2015 को बैठक आहूत है । अतः प्राथमिकता अपेक्षित है ।

भवदीय,

सुशील कुमार मौर्य
विशेष सचिव ।

संख्या- 4/2015 /3149 (1)/33-2-15- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,

विनोद कुमार
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in